राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 08/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.2017 निर्णय दिनांक : 03.10.2017

राजस्थान सरकार बनाम मुन्शीराम, रतनाराम पि. जैसाराम
चुनाराम पुत्र रूघाराम
जाति जाट नि0 चितावा

—: उनवान :—

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चितावा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुन्शीराम पुत्र जैसाराम जाट वैगराह निवासी चितावा नें ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 536 कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर में से रकबा 0.0520 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता भूमि पर सम्वत 2074 में कास्त कर (मुगंफली 0.0520 है.) अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमीयों को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायलान रतनाराम ने प्राप्त किये। गैर सायलान अनुपस्थित रहे।

गैर सायलान आज दिनांक को भी अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई गैर सायलान का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायलान ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है, तथा ग्राम चितावा के आराजी राज खसरा नम्बर 536 कुल रकबा 2.18 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता भूमि में से रकबा 0.0520 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगान 0.26 का पच्चास गुणा से राशि 13/– अक्षरे तेरह रूपये

जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भींमसिंह लखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0